रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242074
CG-DL-E-18012023-242074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2023/पौष 28, 1944
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023/PAUSHA 28, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 31(अ).— विस्फोटक नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम, की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को निदेशक, उदयोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 254 क, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 011, ईमेलः avi.gupta@gov.in को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व भेजे जा सकेंगे।

किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप और सुझाव, उक्त प्रारूप नियमों के बारे में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008 में (इसके आगे से मूल नियम कहा गया है) नियम 2, में-

(क) उप नियम 56 के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(56क) तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण से ऐसा वृत्तिक संगठन अभिप्रेत है जो मुख्य नियंत्रक द्वारा परिसंकटमय, रसायनो का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना खतरों वाले (एमएएच) परिसर की सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं, और जिसमे ऐसे न्यूनतम तीन व्यक्ति शामिल हो जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या रसायन अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि की न्यूनतम योग्यता हो और विस्फोटकों के विनिर्माण और संचालन में दस साल का न्यूनतम अनुभव प्राप्त हो।

3. मूल नियम में, नियम 112 में, उप नियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "-

"**अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण**" - (2) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्: -

क. प्रारूप आरई-1 में आवेदन;

ख. मूल अनुज्ञप्ति:

ग. निर्धारित नवीनीकरण शुल्क।

घ. विस्फोटक विनिर्माण इकाइयों के मामले में, इन नियमों के तहत अनुमोदित तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार अंतिम अनुमोदन के बाद से सभी निरीक्षण या सुरक्षा संपरीक्षा रिपोर्ट।"

[फा. सं. 2(3)/2019-विस्फो.]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 65(अ) तारीख 24 जनवरी, 2011 ओर सा.का.नि. 772(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2013 तथा सा.का.नि. 17(अ) तारीख 9 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2023

G.S.R. 31(E).—The draft of the following rules to amend the Explosives Rules, 2008, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 254A Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011 or email avi.gupta@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Explosives(Amendment) Rules, 2022

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules). In rule 2,-

   (a) after sub rule 56 following clause shall be inserted namely:-

   "(56A) Third Party Inspection Agency means a professional organization recognized by Chief Controller of Explosives to carry out inspection and safety audit of major accident hazards premises as defined under the Manufacture, Storage and Import of hazardous Chemicals Rules, 1989, and having minimum three persons with minimum qualification of masters degree in chemistry or bachelors degree in chemical engineering from a recognized university and minimum experience of ten years in manufacturing and handling of Explosives."

3. In the principal rule, in the Rule 112, for sub rule (2) following shall be substituted, namely"-

   "Renewal of license"-(2) Every application under sub-rule (1) for renewal of the license shall be accompanied by the following documents, namely:-

a. application in Form RE-1;

b. The original license:

c. Prescribed renewal fee.

d. In case of Explosives Manufacturing Units, all the inspection or safety audit reports since last approval as per the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 issued by Third Party Inspection Agency approved under these Rules."

[F. No. 2(3)/2019-Expl.]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.18 23:17:47 +05'30'